

प्ररूप सं. 27ब
[नियम 37ब देखिए]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206ग के अधीन स्रोत पर कर संग्रहण का प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र सं.		अंतिम बार अद्यतन किया गया			
कटौतीकर्ता का नाम और पता		कटौती किए जाने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम			
कटौतीकर्ता का पैन		कटौतीकर्ता का टैन	कटौती किए जाने वाले व्यक्ति का पैन	कटौतीकर्ता द्वारा कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की संदर्भ सं. (यदि कोई हो)	
<p style="text-align: center;">सी.आई.टी., (टीडीएस)</p> पता शहर पिन कोड		निर्धारण वर्ष	अवधि		
			से	तक	
पावती सारांश					
क्र. सं.	प्रति/विकलित रकम	पावती की प्रकृति	पावती/विकलन की तारीख (दिदि/मम/वववव)		
कुल (रु.)					
कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत स्रोत पर संग्रहित कर का सारांश					
तिमाही	धारा 206ग की उपधारा (3) के पर्युक्त के अधीन टीडीएस के मूल तिमाही विवरण की पावती संख्या	कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत संग्रहित कर की रकम	कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत जमा/विप्रेषित कर की रकम		
		(रु.)	(रु.)		
1. बही समायोजन के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा और संग्रहित कर का ब्यौरा (संग्रहकर्ता द्वारा कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत संग्रहित और जमा किए गए कर का ब्यौरा संलग्न वार उपलब्ध कराया जाए)					
क्र.सं.	कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत जमा किया गया कर	बही पट्टयान संख्यांक (बीआईएन)			
	(रु.)	प्ररूप सं. 24ख की पावती सं.	प्ररूप 24ख में डीडीओ क्र.सं.	वाउचर अंतरण की तारीख (दिदि/मम/वववव)	प्ररूप 24ख में मैचिंग प्राप्ति
कुल					

II. संग्रहीत कर और चालान के माध्यम से केंद्रीय सरकार के खाते में जमा किए गए कर का ब्यौता

(संग्रहकर्ता द्वारा कटौती किए जाने वाले व्यक्ति को वावत संग्रहीत और जमा किए गए कर का ब्यौता संवदय वार उपलब्ध कराया जाए)

क्रम सं.	कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की वावत जमा किया गया कर	चालान पहचान संख्यांक (सीआईएन)			
	(रु.)	बैंक शाखा का बीएसआर कोड	कर जमा करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	चालान क्रम संख्यांक	ओण्टीएएस में भेजना प्रस्थिति
कुल (रु.)					

सत्यापन

मैं पुत्र/पुत्री जो (पदनाम) को हैसियत में कार्य कर रहा/रही हूँ, यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि [रूप:..... (शब्दों में)] की राशि का स्रोत पर संग्रह किया गया है और केंद्रीय सरकार के खाते में जमा किया गया है। मैं यह और प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी सत्य, पूर्ण और सही है तथा लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों, टीसीएस विवरणों, टीसीएस जमा और अन्य उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है।

स्थान		
तारीख	(कर के संग्रहण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)	
पदनाम :	पूरा नाम :	

टिप्पण :

- सरकारी संग्रहकर्ता, मद I में जानकारी दें यदि कर का संवदय आय-कर चालान के प्रस्तुत किए बिना प्रस्तुत किया जाता है और यदि कर को आवकर चालान के साथ संवदत किया जाता है तो मद II में जानकारी दें।
- गैर सरकारी संग्रहकर्ता मद II में जानकारी दें।
- संग्रहकर्ता, आय-कर आयुक्त (टीडीएस) का पता प्रस्तुत करेंगे जिसकी अधिकारिता निर्धारितियों के टीसीएस विवरण के विषय में है।
- मद I और मद II में कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की वावत जमा किए गए कर वाले स्तंभ में, टीसीएस, अधिभार (यदि लागू हो) और शिक्षा उपकर (यदि लागू हो) की कुल रकम प्रस्तुत करें।

प्ररूप सं. 27ड

[धारा 206ग और नियम 37ड देखिए]

..... को समाप्त होने वाली अवधि के लिए संग्रहणों की बाबत आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 206ग के अधीन कर के संग्रहण की वार्षिक विवरणी

1. विक्रेता की विशिष्टियां

(क) विक्रेता का नाम	<input type="text"/>		
(ख) पता : फ्लैट/द्वार/ब्लॉक सं.	<input type="text"/>		
परिसर/भवन	<input type="text"/>		
सड़क/गली/लेन	<input type="text"/>		
क्षेत्र/परिक्षेत्र	<input type="text"/>		
नगर/जिला/शहर	<input type="text"/>	पिन कोड	<input type="text"/>
राज्य का नाम	<input type="text"/>		
(ग) कर संग्रहण खाता संख्यांक	<input type="text"/>		
(घ) स्थायी खाता संख्यांक	<input type="text"/>		

2.* क्या विक्रेता के पते में कोई परिवर्तन हुआ है।

जैसे लागू हो ✓ का निशान लगाएं हां नहीं

3. (क) अर्ध वर्ष * के दौरान किए गए संग्रहण को, जिससे आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन आय से स्रोत पर कर संग्रहण करने की अपेक्षा की गई थी, उपदर्शित करते हुए नीचे दिए गए खानों (बाक्स) में ✓ सही का निशान लगाएं क मानव उपभोग के लिए एल्कोहॉली लिकर ख वन पट्टे के अधीन प्राप्त काष्ठ ग वन पट्टे के अधीन विहित पद्धति से भिन्न किसी पद्धति से प्राप्त काष्ठ घ कोई अन्य वनोत्पाद जो काष्ठ या तेंदु पत्ता न हो ड स्क्रेप च पार्किंग लाट छ टोल प्लाजा ज खनन और उत्खनन।
- (ख) कृपया ऊपर मद (क) में उपदर्शित संग्रहण के प्रत्येक प्रकार के लिए संलग्न प्रोफार्म के अनुसार पृथक-पृथक उपबन्धों में जानकारी प्रस्तुत करें।

4. संगृहीत और केन्द्रीय सरकार के क्रेडिट में संदत्त कर के व्यौरे

क्रम सं.	उपर्युक्त क्रम सं. 3 के अनुसार संग्रहण कोड	स्रोत पर कर कटौती रु.	अधिभार रु.	शिक्षा उपकर रु.	ब्याज रु.	अन्य रु.	कुल जमा कर रु. (3+4+5+6+7)	चैक/मांग ड्राफ्ट सं. (यदि कोई हो)	बीएसआर कोड	कर जमा करने की तारीख	अंतरण वाऊचर/चालान क्रम सं. ²	क्या स्रोत पर कर कटौती बही प्रविष्टि द्वारा जमा की गई है हां/नहीं ³
(601)	(602)	(603)	(604)	(605)	(606)	(607)	(608)	(609)	(610)	(611)	(612)	(613)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

सत्यापन

मैं,, यह प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई सभी विशिष्टियां सही और पूर्ण हैं।

स्थान :

तारीख :

स्रोत पर कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर.....

स्रोत पर कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पद नाम.....

टिप्पण :

1. यदि पता बदल गया है तो स्तंभ 1(ख) में परिवर्तित पता दें।
2. जहां सरकार द्वारा या उसकी ओर से संग्रहण किया जाता है वहां अंतरण वाउचरों की विशिष्टियां दें; अन्य कटौती करने वाले की दशा में बैंक में जमा किए जाने के संबंध में चालान सं. की विशिष्टियां दें।
3. स्तंभ केवल सरकारी कटौतीकर्ताओं के लिए सुसंगत है।

टिप्पण :

1. [क] मानव उपभोग के लिए एल्कोहॉली लिकर [ख] वन पड़े के अधीन प्राप्त काष्ठ [ग] वन पड़े के अधीन विहित पद्धति से भिन्न किसी पद्धति से प्राप्त काष्ठ [घ] कोई अन्य वनोत्पाद, जो काष्ठ या तेंदु पत्ता न हो [ङ] स्क्रेप [च] पार्किंग लाट [छ] टोल प्लाजा [ज] खनन और उखनन [झ] तम्बाकू की पत्तियां
2. कृपया प्रत्येक प्रकार के संग्रहण के लिए पृथक्-पृथक् उपबंधों का प्रयोग करें।
3. कृपया कंपनियों के लिए क्रेता का कोड 01 लिखें; 'कंपनियों से भिन्न' के लिए 02 लिखें।
4. जहां संग्रहण केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसकी ओर से किया जाता है वहां अंतरण वाउचर संख्यांक की स्तंभ (10) में प्रविष्टि की जाए।
5. ऊपर फोरमेट में संग्रहण के पूरे ब्यौरे देने के लिए यदि आवश्यक हो तो कृपया अतिरिक्त शीटों का प्रयोग किया जाए।
6. यदि धारा 206ग(9) के अनुसार कम संग्रहण है तो X लिखें, किसी अन्य कारण के लिए Y लिखें, ब्यौरे पृथक् शीट पर दें।

स्थान :

तारीख :

स्रोत पर कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर.....

स्रोत पर कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम.....